GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
खण्ड शिक्षा अधिकारी,
खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी,
स्कूल मुखिया/प्रभारी।

यादी क्रमांकः– 15/2-2017 ACD (15)
दिनांकः– 16.05.2017

विषयः– **छात्रों के प्रवेश तथा फीस से सम्बन्धित मुद्दों बारे।**

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में उल्लेख है कि निदेशालय ने स्वतः संज्ञान लिया है कि एक छात्र जो पिछली कक्षा में सफल/असफल रहा है उसकी सहमति/आवेदन के बिना उसे नये शैक्षणिक सत्र में अगली/उसी कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है। इसके अलावा यदि छात्र नये सत्र के प्रथम दिन भी विद्यालय छोड़ने के लिए आवेदन करता है तो उसे पूरी तिमाही/मास की फीस भरने के लिए मजबूर किया जाता है और कहा जाता है कि वह पहले ही विद्यालय में नामांकित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा एक लाभप्रद व्यवसाय की बजाय, एक सामाजिक/कल्याणकारी गतिविधि है। इसलिए इस प्रचलन में बदलाव की आवश्यकता है तथा इस प्रक्रिया में बदलाव के लिए निम्नानुसार नये दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. पिछली कक्षा के छात्र का अगली/उसी कक्षा में प्रवेश तब तक पूर्णतः अस्थाई रखा जाये जब तक छात्र स्वयं प्रवेश के लिए आवेदन न करे।
2. यदि छात्र प्रवेश के लिए आवेदन नहीं करता है तो 'विद्यालय त्याग प्रमाणपत्र' (SLC) अथवा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (TC) जारी करते समय उसे मासिक/त्रैमासिक शुल्क जमा कराने के लिए बाध्य न करें।
3. छात्र पर तब तक कोई वित्तीय दायित्व नहीं होना चाहिए जब तक वह विद्यार्थी उस कक्षा विशेष या विद्यालय में प्रवेश नहीं लेता।
4. विद्यालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र अथवा उनके अभिभावक को विद्यालय में प्रवेश लेते, छोड़ते या बदलते समय किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े, चाहे विद्यार्थी किसी निजी विद्यालय में या सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है।
5. विद्यालय, प्रवेश के समय विद्यार्थी से 500 रुपये तक ली गई अग्रिम राशि ही रख सकता है, परन्तु इससे अधिक राशि उस अवस्था में वापिस की जाए यदि विद्यार्थी ने उस विद्यालय की सेवाओं का लाभ नहीं उठाया है।

6. निदेशालय स्तर पर ऐसा कोई भी दिशा निर्देश नहीं है कि विद्यार्थियों से त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अग्रिम फीस ली जाये और न ही ऐसा कोई प्रावधान है। अतः यदि कोई विद्यालय ऐसा करता है तो इसके लिए विद्यालय मुखिया विद्यार्थी से ली गई कोई भी अग्रिम राशि, उस विद्यार्थी को, सत्र के मध्य में विद्यालय बदलने/छोड़ने की स्थिति में लौटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

अनिवार्य अनुपालनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक शैक्षणिक
कृतेः निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः दिनांक, पंचकूला 16.05.2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन (सैकेण्डरी शिक्षा)।
3. अधीक्षक सैकेण्डरी शाखा, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
4. अधीक्षक प्राईवेट स्कूल शाखा, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
5. प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई0टी0सैल0।

सहायक निदेशक शैक्षणिक
कृतेः निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला